कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः–राजस्व / 2024–25 / 168 दिनांकः– 23/12/2024

आम सूचना

आवासीय भूखण्डों की ई–नीलामी नगर निगम, उदयपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, उदयपुर द्वारा भूखण्डों की ऑनलाईन नीलामी E-Auction की वेबसाइट lsgeauction.rajasthan.gov.in पर निम्नांकित विवरण अनुसार की जायेगीः–

क्र.सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखंड की दिशा	बोली प्रारम्भ राशि (लाखो में)	बोली के पूर्व जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि (EMD)
1	हरिदास जी की मंगरी	1	2657.6	दक्षिण पश्चिम कॉर्नर	96.33	1,92,660 / –
2	हरिदास जी की मंगरी	2	2942	दक्षिण	96.90	1,93,800 / –
3	हरिदास जी की मंगरी	3	2826	दक्षिण	93.08	1,86,160 / –
4	हरिदास जी की मंगरी	4	2711	दक्षिण	89.30	1,78,600 / –
5	हरिदास जी की मंगरी	5	2685	दक्षिण	88.44	1,76,880 / –
6	हरिदास जी की मंगरी	6	2963	दक्षिण	97.60	1,95,200 / –

नीलामी की सामान्य शर्तें :–

1. प्रत्येक बोलीदाता SSO ID के माध्यम से ही बोली में भाग ले सकेगा।
2. नीलामी मे भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन E-Auction की वेबसाइट / पोर्टल lsgeauction.rajasthan.gov.in पर करा सकेंगे तथा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीयन शुल्क 1000 / . एवं 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 1180 / .रुपये **दिनांक 01.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 15.01.2025 को दोपहर 3:00 बजे** तक जमा करवाना होगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पश्चात् बोलीदाता निलामी में वर्णित भूखण्ड जिसके लिये वे बोली लगाना चाहते है, उसकी निर्धारित EMD राशि **दिनांक 15.01.2025 को दोपहर 03:00 बजे** तक ऑनलाईन जमा करवा सकेंगे। ऑनलाईन धरोहर राशि (EMD) जमा कराने वाले व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेंगे इसके पश्चात् कोई व्यक्ति ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नही करवा सकेगा।
3. नीलामी प्रक्रिया **दिनांक 16.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे** से प्रारम्भ होकर **दिनांक 27.01.2025 को दोपहर 2:00 बजे** तक चालू रहेगी एवं अंतिम पांच मिनिट में यदि कोई बोलीदाता बोली लगाता है तो बोली का समय स्वतः पांच मिनट आगे बढ़ता जायेगा एवं इसके पश्चात् यदि अन्तिम पांच मिनट में कोई बोलीदाता बोली नही लगाता हैं तो बोली का समय समाप्त माना जायेगा।
4. निर्धारित अन्तिम समय के पश्चात् रजिस्ट्रेशन व धरोहर राशि (EMD) जमा नहीं होगी। असुविधा से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि इच्छुक बोलीदाता समय का ध्यान रखे व अन्तिम समय व तिथि से पूर्व ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व धरोहर राशि जमा कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर ले।
5. नीलामी मे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन धरोहर राशि जमा करा चुके व्यक्ति / फर्म / संस्था / कम्पनी ही ई–नीलामी में भाग ले सकेंगे।
6. प्रत्येक भूखण्ड के लिए पृथक–पृथक रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी।
7. प्रत्येक बोली बोलीदाता को स्वयं हर बार ऑनलाईन लगानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.20 18:02:27 IST
Reason: Approved

8. किसी भी बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, उदयपुर का होगा।
9. भूखंड की स्थिति जैसी है वैसी के आधार पर निलामी की जा रही है।

भुगतान की शर्तों में दी गई विशेष छूटः–

1. धरोहर राशि (EMD) बिडमूल्य का 2 प्रतिशत ली जाएगी।
2. सफल बिडराशि की 15 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति की दिनांक से 3 दिवस में जमा करानी होगी जिसमें 2 प्रतिशत (EMD) समायोजित कर ली जाएगी।
3. सफल बोलीदाता को कुल बोली राशि की 35 प्रतिशत राशि निलामी बोली दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा 120 दिवस में राशि जमा नही कराने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करानी होगी।
4. सफल बोलीदाता को कुल स्वीकृत बोली राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि निलामी दिनांक से 180 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा 180 दिवस में राशि जमा नही कराने पर अगले 90 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करानी होगी।
5. सम्पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर नीलामी मूल्य में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नोटः– ई– नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया (शर्तें, भुगतान एवं अन्य जानकारी) .नगर निगम की वेबसाईट www.udaipurmc.org पर "Citizen Service' के अन्तर्गत "E-Auction' की वेबसाइट lsgeauction.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है एवं कमरा नं.–71 व 72 में किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सूचना निम्न प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
   (प) मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण में।
   (पप) एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र जयपुर संस्करण में।
2. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना निगम की वेबसाईट एवं SPPP पोर्टल पर प्रकाशित करावें।
3. निगम सूचना पट्ट एवं समस्त सेक्टर कार्यालय पर प्रकाशनार्थ।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.12.20 1?:02:27 IST
Reason: Approved